राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ 4(3)(1)रोल/निर्वा/2013/2014 जयपुर, दिनांक : 27.05.2013

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः

1.समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2.समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।

विषयः आगामी विधानसभा आम चुनाव 2013–अधिकारियों के प्रशिक्षण बाबत्।

महोदय,

आगामी विधानसभा आम चुनाव– 2013 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को अद्यतन करने, निर्वाचन के संचालन से संबंधित विविध विषयों यथा कानूनी प्रावधानों, नामांकन, मतदान, मतगणना, कानून व्यवस्था, Vulnerable Mapping, Liquor/Arms Monitoring, आदर्श आचार संहिता, अभ्यर्थियों के चुनावी व्यय पर मोनीटरिंग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए किये जाने वाले उपायों आदि विषयों के संबंध में तीन स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने का निर्देश दिया है।

प्रथम स्तर पर यानि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs) को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके परिसर में ही स्थित India International Institute of Democracy & Election Management, New Delhi (I.I.I.D.E.M.) में दिलाया जायेगा। इस विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs) की नियुक्ति कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने I.I.I.D.E.M. में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जून से 14 जून, 2013 तक निर्धारित किया है जिसमें उक्त अधिकारीगण भाग लेंगे।

द्वितीय स्तर पर प्रशिक्षण में SLMTs के द्वारा दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके प्रथम चरण में मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन (Continuous Updation) एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के विषयों पर संभागीय मुख्यालयों पर उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिनांक 20.06.2013 से 25.06.2013 तक की अवधि में प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण होगा जिसका कार्यक्रम

संलग्न है। द्वितीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी माह जुलाई, 2013 में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

द्वितीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण में निर्वाचनों के संचालन संबंधी विषयों के संबंध में SLMTs के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs), जिला आबकारी अधिकारियों एवं आयकर अधिकारियों, विभिन्न नोडल अधिकारियों को राज्य स्तर पर या संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण अलग–अलग ग्रुपों में अलग–अलग तिथियों में दिलाया जायेगा, जिसका कार्यक्रम यथासमय अवगत कराया जायेगा।

तृतीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के भी दो चरण होंगे, जिसमें प्रथम चरण मतदाता सूचियों से संबंधित विषयों पर और द्वितीय चरण निर्वाचनों के संचालन से संबंधित विषयों पर होगा। प्रथम चरण में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं निरन्तर अद्यतन (Continuous Updation) के बिन्दुओं पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा अपने मुख्यालय पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारियों को दिनांक 04 या 05 जुलाई, 2013 को किसी एक दिन प्रशिक्षित किया जायेगा।

तृतीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निर्वाचनों के संचालन से संबंधित विविध विषयों पर प्रशिक्षण जिला स्तर पर या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार दिलाया जायेगा जिसका कार्यक्रम बाद में प्रेषित किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित पत्र क्रमांक 1850 दिनांक 20.05.2013 में विस्तृत विवरण अंकित है।

द्वितीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण संभागीय मुख्यालय पर ही आयोजित कराया जा रहा है जिसमें अधिकाशतः उसी संभाग के अधिकारियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के रूप में नियुक्त किया गया है और आवश्यकतानुसार जयपुर में पदस्थापित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को उनकी सहायतार्थ संभागीय मुख्यालय पर भेजा जा सकता है। फिलहाल इस चरण में मतदाता सूचियों संबंधी विषयों पर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसमें SLMTs द्वारा एक दिन के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा और उसके बाद एक दिन के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। संभागवार कार्यक्रम का विवरण एवं प्रशिक्षण देने वाले SLMTs के नाम संलग्न प्रपत्र में वर्णित है।

अतः संभागीय मुख्यालयों तथा जिला/विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुनियोजित रूप से संपादित कराने के लिए निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैः–

1. संभागीय मुख्यालयों पर SLMTs द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षणों पर संबंधित संभागीय आयुक्त निगरानी रखेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। SLMTs द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची तथा प्रशिक्षणों में अनुपस्थित अधिकारियों (यदि कोई हो) की सूची इस विभाग को भेजेंगे। इस प्रयोजन के लिए संभागीय आयुक्त द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को समन्वयक भी नियुक्त किया जा सकता है।

2. संभागीय मुख्यालय पर SLMTs द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के लिए समुचित व्यवस्थाऐं (यथा प्रशिक्षण स्थल, पॉवर पाइन्ट प्रजेन्टेशन के लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षणार्थी के लिए अल्पाहार/लंच आदि) संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। चाय एवं वर्किंग लंच के लिए व्यय का मापदंड वर्णित करते हुए बजट निर्वाचन विभाग द्वारा पृथक से आवंटित किया जा रहा है।

3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षणों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जायेगी और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः सभी संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 4(3)(1)रोल/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक : 27.05.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–
1. समस्त राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs)।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

(आर. के पारीक)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

Training Schedule for ensuing Vidhan Sabha General Elections-2013 (Rajasthan)
Training by SLMTs to Dy. DEOs, EROs & AEROs on Electoral Rolls

S.No.	Name of Districts	No. of ACs	Training to Dy. DEOs & EROs			Training to AEROs (Two AEROs for each AC)			Trainer Group (SLMTs)
			No. of Trainees	Date & Time	Venue	No. of Trainees	Date & Time	Venue	
1	Jaipur	19	20	20.06.13 11.00 AM	Conference Hall Sectt.	38	21.06.13 11.00 AM	Conference Hall Sectt.	**Group - A** 1. Sh. Pukhraj Sain, RAS Dy. Comm., Food & Supply, Jaipur 2. Smt. Abha Jain, RAS RTO -II, Jaipur. **Rep. of Election Deptt.** 1. Sh. P.C.Gupta, RAS, Jt. CEO 2. Sh. R.K.Pareek, RAS, Jt. CEO
2	Dausa	5	6	20.06.13 11.00 AM	-do-	10	21.06.13 11.00 AM	-do-	
3	Alwar	11	12	20.06.13 11.00 AM	-do-	22	21.06.13 2.30 PM	-do-	
4	Sikar	8	9	20.06.13 11.00 AM	-do-	16	21.06.13 2.30 PM	-do-	
5	Jhunjhunu	7	8	20.06.13 11.00 AM	-do-	14	21.06.13 2.30 PM	-do-	
	Jaipur Division	50	55			100			
6	Ajmer	8	9	20.06.13 11.00 AM	At Ajmer to be fixed by DEO, Ajmer	16	21.0613 11.00AM	At Ajmer to be fixed by DEO, Ajmer	**Group - B** 1. Sh. Arun Hasija, RAS DIG, Reg. & Stamps, Bhilwara. 2. Sh. Narendra Theory, RAS Comm. Municipal Council, Tonk. 3. Sh. Ajay
7	Bhilwara	7	8	20.06.13 11.00 AM	-do-	14	21.0613 11.00AM	-do-	
8	Tonk	4	5	20.06.13 11.00 AM	-do-	8	21.0613 11.00AM	-do-	
9	Nagaur	10	11	20.06.13 11.00 AM	-do-	20	21.0613 11.00AM	-do-	

S.No.	Name of Districts	No. of ACs	Training to Dy. DEOs & EROs			Training to AEROs (Two AEROs for each AC)			Trainer Group (SLMTs)
			No. of Trainees	Date & Time	Venue	No. of Trainees	Date & Time	Venue	
									Aswal, RAS ED, Raj. Med. Services Corp. Jaipur. **Rep. of Election Deptt.** Sh. Vinod Pareek, RAS, Dy. CEO
	Ajmer Division	29	33			58			
10	Jodhpur	10	11	20.06.13 11.00 AM	At Jodhpur to be fixed by DEO, Jodhpur	20	21.06.13 11.00AM	At Jodhpur to be fixed by DEO, Jodhpur	**Group - C** 1. Sh. Sohan Lal Sharma, RAS Registrar, National Law University, Jaipur. 2. Sh. Jugal Kishore Meena, RAS Dy. Dir. ICDS, Jodhpur **Rep. of Election Deptt.** Sh. H.S.Goyal, RAS, OSD
11	Jalore	5	6	20.06.13 11.00 AM	At Jodhpur to be fixed by DEO, Jodhpur	10	21.06.13 11.00AM	-do-	
12	Sirohi	3	4	20.06.13 11.00 AM	At Jodhpur to be fixed by DEO, Jodhpur	6	21.06.13 11.00AM	-do-	
13	Pali	6	7	20.06.13 11.00 AM	At Jodhpur to be fixed by DEO, Jodhpur	12	21.06.13 11.00AM	-do-	
14	Barmer	7	8	20.06.13 11.00 AM	At Jodhpur to be fixed by DEO, Jodhpur	14	21.06.13 11.00AM	-do-	
15	Jaisalmer	2	3	20.06.13 11.00 AM	At Jodhpur to be fixed by	4	21.06.13 11.00AM	-do-	

S.No.	Name of Districts	No. of ACs	Training to Dy. DEOs & EROs			Training to AEROs (Two AEROs for each AC)			Trainer Group (SLMTs)
			No. of Trainees	Date & Time	Venue	No. of Trainees	Date & Time	Venue	
					DEO, Jodhpur				
	Jodhpur Division	33	39			66			
16	Bharatpur	7	8	20.06.13 11.00 AM	At Bharatpur to be fixed by DEO, Bharatpur	14	21.06.13 11.00AM	At Bharatpur to be fixed by DEO, Bharatpur	**Group - D** 1. Sh. Sanwar Mal Verma, RAS Jt. Secy., PWD, Jaipur 2. Sh. Mahesh Sharma, RAS Jt. Secy. RD, Jaipur. **Rep. of Election Deptt.** Sh. Aashish Sharma, RAS, Asstt. CEO
17	Dholpur	4	5	20.06.13 11.00 AM	-do-	8	21.06.13 11.00AM	-do-	
18	Karauli	4	5	20.06.13 11.00 AM	-do-	8	21.06.13 11.00AM	-do-	
19	Sawaimadhopur	4	5	20.06.13 11.00 AM	-do-	8	21.06.13 11.00AM	-do-	
	Bharatpur Division	19	23			38			
20	Kota	6	7	24.06.13 11.00 AM	At Kota to be fixed by DEO, Kota	12	25.06.13 11.00AM	At Kota to be fixed by DEO, Kota	**Group - E** 1. Sh. B.L.Kothari, RAS RAA, Kota. 2. Sh. Ambrish Mehta, RAS Settlement Officer, Kota **Rep. of Election Deptt.** Sh.H.S.Goyal, RAS,
21	Baran	4	5	24.06.13 11.00 AM	-do-	8	25.06.13 11.00AM	-do-	
22	Jhalawar	4	5	24.06.13 11.00 AM	-do-	8	25.06.13 11.00AM	-do-	
23	Bundi	3	4	24.06.13 11.00 AM	-do-	6	25.06.13 11.00AM	-do-	

S.No.	Name of Districts	No. of ACs	Training to Dy. DEOs & EROs			Training to AEROs (Two AEROs for each AC)			Trainer Group (SLMTs)
			No. of Trainees	Date & Time	Venue	No. of Trainees	Date & Time	Venue	
									OSD
	Kota Division	17	21			34			
24	Udaipur	8	9	24.06.13 11.00 AM	At Udaipur to be fixed by DEO, Udaipur	16	25.06.13 11.00AM	At Udaipur to be fixed by DEO, Udaipur	**Group - F** 1. Sh. Jitendra Upadhyay, RAS Comm. Municipal Council, Udaipur 2. Sh. L.N.Mantri, RAS Registrar, M.L.Sukhadia University, Udaipur. 3. Sh. Bhanwar Singh Sandhu, RAS Dy. Dir. HCM, RIIPA, Udaipur **Rep. of Election Deptt.** Sh. P.C.Gupta, RAS, Jt. CEO
25	Rajsamand	4	5	24.06.13 11.00 AM	-do-	8	25.06.13 11.00AM	-do-	
26	Pratapgarh	2	3	24.06.13 11.00 AM	-do-	4	25.06.13 11.00AM	-do-	
27	Chittorgarh	5	6	24.06.13 11.00 AM	-do-	10	25.06.13 11.00AM	-do-	
28	Dungerpur	4	5	24.06.13 11.00 AM	-do-	8	25.06.13 11.00AM	-do-	
29	Banswara	5	6	24.06.13 11.00 AM	-do-	10	25.06.13 11.00AM	-do-	
	Udaipur Division	28	34			56			
30	Bikaner	7	8	24.06.13 11.00 AM	At Bikaner to be fixed by DEO, Bikaner	14	25.06.13 11.00AM	At Bikaner to be fixed by DEO, Bikaner	**Group - G** 1. Sh. Rajendra Mishra, RAS Registrar,
31	Ganganagar	6	7	24.06.	-do-	12	25.06.1	-do-	

S.No.	Name of Districts	No. of ACs	Training to Dy. DEOs & EROs			Training to AEROs (Two AEROs for each AC)			Trainer Group (SLMTs)
			No. of Trainees	Date & Time	Venue	No. of Trainees	Date & Time	Venue	
				13 11.00 AM			3 11.00AM		Agriculture University, Bikaner 2. Sh. Nathu Ram, RAS Addl. Div. Comm. Bikaner. 3. Sh. Ummed Singh, RAS ADM, Vigilance, Ganganagar. **Rep. of Election Deptt.** Sh. R.K.Pareek, RAS, Jt. CEO
32	Hanumnagarh	5	6	24.06.13 11.00 AM	-do-	10	25.06.13 11.00AM	-do-	
33	Churu	6	7	24.06.13 11.00 AM	-do-	12	25.06.13 11.00AM	-do-	
	Bikaner Division	24	28			48			

Note: Training to BLOs & Designating Officers Shall be imparted by EROs & AEROs at their Headquarter on 04th or 5th July, 2013.

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.4(3)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/2097 जयपुर, दिनांक 30 मई, 2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : 1.जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
(समस्त) राजस्थान।
2. जिला पुलिस अधीक्षक
(समस्त) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण बाबत।

संदर्भ : इस विभाग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित समसंख्यक पत्र क्रमांक 1850 दिनांक 20.05.2013 जिला पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित समसंख्यक पत्र क्रमांक 1851 दिनांक 20.05.2013

महोदय,

आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय प्रशिक्षण प्लॉन के अन्तर्गत तृतीय स्तर पर (जिला या विधानसभा स्तर पर) अधिकारियों/स्टॉफ को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आपके अधीनस्थ अधिकारियों में से विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) के रूप में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के नाम प्रासंगिक पत्रों के द्वारा दिनांक 31.05.2013 तक चाहे गये थे। विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) के रूप में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के मापदण्ड निम्न प्रकार बताऐ गये थेः–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु तीन ALMTs का चयन कर इनकी सूची प्रेषित करेंगे।
2. जिला पुलिस अधीक्षक जिनके जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या चार तक है वहां पर दो अधिकारी, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पांच से आठ तक है तो वहां चार अधिकारी एवं इससे अधिक विधानसभा क्षेत्र है तो वहां छः अधिकारी ALMTs के रूप में नामांकित कर सूची प्रेषित करेंगे।

ALMTs के रूप में नामांकित अधिकारियों की सूची प्रासंगिक पत्रों से दिनांक 31.05.2013 तक चाही गई थी। निर्वाचन विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्लॉन के अन्तर्गत संभाग/ जिला स्तर/विधानसभा स्तर पर माह जून–जुलाई, 2013 में दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिलहाल मतदाता सूचियों से संबंधित विषयों को ही शामिल किये जाने के कारण संभाग स्तर पर केवल उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका नहीं रखी गई है। विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) की भूमिका मतदाता सूचियों के उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त निर्वाचन के संचालन से संबंधित विषयों पर रहेगी, जिसके लिए कार्यक्रम बाद में प्रेषित किया जायेगा।

माह जून, 2013 में अधिकारियों के स्थानान्तरण होना संभावित है, अतः ऐसी स्थिति में विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) की नियुक्ति के लिए उपरोक्त वर्णित मापदंड के अनुसार अधिकारियों को नामांकित करते हुए सूची दिनांक 30.06. 2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :एफ.
4(3)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक 30 मई, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को संदर्भित पत्रों की प्रति के साथ संलग्न प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(आर.के.पारीक)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

एफ.4(3)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/1851 जयपुर, दिनांक 20 मई, 2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : जिला पुलिस अधीक्षक
(समस्त) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण बाबत।

महोदय,

आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण प्लान तैयार किया है। यह प्रशिक्षण प्लान त्रिस्तरीय होगा जिसमें **प्रथम स्तर** में राष्ट्रीय स्तर पर India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), नई दिल्ली में, **द्वितीय स्तर** पर राज्य अथवा सम्भागीय मुख्यालय तथा **तृतीय स्तर** पर जिला या विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रथम स्तर पर IIIDEM, नई दिल्ली में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs) को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन SLMTs के द्वारा राज्य स्तर पर अथवा सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिर्टनिंग अधिकारियों, सहायक रिर्टनिंग अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा। राज्य स्तर अथवा सम्भाग स्तर पर उक्त SLMTs द्वारा जिला पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

जिला या विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मतदान दलों, EVM ground staff, आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव–व्यय मॉनिटरिंग के लिए गठित वीडियो सर्विलेंस दलो, उडनदस्तो, सहायक व्यय पर्यवेक्षको सैक्टर/जोनल अधिकारी/मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षकों/थानाधिकारियों/पुलिस लाईन इन्चार्ज, उडनदस्तो के प्रभारियो आदि को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा जो ALMTs के द्वारा दिया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने पुलिस अधिकारियों को मुख्यतः कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, Vulnerability Mapping, पुलिस बलों की तैनातगी, मदिरा/हथियार आदि पर नियंत्रण, असामाजिक तत्वों की धरपकड़, निरोधात्मक उपायों, अभ्यर्थियों के चुनाव–व्यय तथा आदर्श आचार संहिता पर निगरानी हेतु उड़न दस्तों, Static Survilence Teams तथा Check Posts का गठन एवं उनके कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से आयोग को प्रेषित करने, निर्वाचन अपराधों एवं नकद/उपहार/भोजन आदि तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन/रिश्वत देने के मामलों में जब्ती व एफ.आइ.आर. दर्ज करने की कार्यवाही एवं उसकी प्रगति रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से आयोग को प्रेषित करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए हैं। SLMTs के रूप में नियुक्त अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली परिसर में स्थित IIIDEM में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 27 मई, 2013 से 31 मई, 2013 तक प्राप्त करेंगे। इसके उपरान्त SLMTs द्वारा राज्य स्तर पर या सम्भाग स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षको, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षको, ALMTs आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ALMTs के रूप में नियुक्त अधिकारी उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तर पर या विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, जैसा भी आप द्वारा निर्धारित किया जावे, अन्य पुलिस अधिकारियों जिनमें पुलिस उप अधीक्षक, थानाधिकारी एवं पुलिस लाईन प्रभारी होंगे, को प्रशिक्षित करेंगे।

अतः आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से ALMTs के नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के नाम दिनांक 31 मई, 2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें। ALMTs के रूप में कितने अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं इसका मापदण्ड यह रखा जावे कि जिन जिलों में चार विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर दो अधिकारी तथा 5 से 8 तक विधानसभा क्षेत्र हैं वहां 4 अधिकारी एवं इससे अधिक विधानसभा क्षेत्र है तो वहॉ 6 अधिकारी ALMTs के रूप में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु उपलब्ध रहें।

अतः अनुरोध है कि 31 मई, 2013 तक ALMTs को नामांकित करते हुए अधिकारियों की सूची आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रेषित की जावे।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

एफ.4(3)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/1850 जयपुर, दिनांक 20 मई, 2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स),
(समस्त) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – चुनाव से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण बाबत।

महोदय,

आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनो के संचालन, आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदाता सूचियों के प्रबन्धन तथा मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण विषयो पर प्रशिक्षण प्लान तैयार किया है। यह प्रशिक्षण प्लान त्रिस्तरीय होगा जिसमें **प्रथम स्तर** में राष्ट्रीय स्तर पर India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), नई दिल्ली में, **द्वितीय स्तर** पर राज्य अथवा सम्भागीय मुख्यालय तथा **तृतीय स्तर** पर जिला या विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रथम स्तर पर IIIDEM, नई दिल्ली में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs) को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन SLMTs के द्वारा राज्य स्तर पर अथवा सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिर्टनिंग अधिकारियों, सहायक रिर्टनिंग अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा। राज्य स्तर अथवा सम्भाग स्तर पर उक्त SLMTs द्वारा जिला पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षकों, राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं आयकर विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तर/विधानसभा क्षेत्रीय स्तर पर निम्नांकित अधिकारियों को मुख्यतः निम्नांकित विषयो पर प्रशिक्षण दिया जाना है :–

S.No.	Category of Trainees	Estimated No. of Trainees	Subject/Topics of Training
1.	B.L.O.'s	@ 1 per PS	Role of BLO in updation of Electoral Rolls, Preparation of polling stations and other poll day arrangement, their communication plan, vulnerability mapping, SVEEP and other such matters related to conduct of elections in which they have a role in the run-up to an election. They would also be trained on matters related to electoral rolls in the run up to un election under the ECI modules.
2.	Polling personnel	@ 4 per PS+25% reserve	Polling station arrangement, conduct of poll, Receipt/dispatch/transport/EVM, postal ballots etc.

3.	Sector/Zonal officers/Magistrates	@ 5 per AC	Matters relating to law & order, vulnerability mapping, District Election Plan preparation (including communication plan), poll-day arrangements including preparation of polling stations, MCC, route and transport planning and preparation, EVM-Do's and basic de-bugging, receipt &U dispatch of polling parties, monitoring and reporting (esp. on poll day) rules, regulation and guidelines relating to conduct of polls, postal ballots, SVEEP etc.
4.	Micro Observers	@ 1 per PS where required by Observer	To be trained on their specific roles and responsibilities if and as required by the Observes appointed by ECI with support of ALMTs (if asked for by Observers). The topics may include operations at polling station, EVM-essentials, postal ballots etc.
5.	Various Nodal Officers	as required	Issues related to them
6.	Officers and Staff to be engaged in election expenditure monitoring and Paid News, i.e. video surveillance teams, flying squads, static surveillance teams	as required (minimum six teams per AC)	Issues related to expenditure monitoring/MCC/ Flying Squads and Paid News etc.
7.	Dy. SPs, SHOs, RIs etc.	all	Law and order control, vulnerability mapping, deployment and logistics of forces, control over liquor, arms and ammunitions etc., election expenditure/MCC monitoring related matters etc.
8.	Counting Personnel	@ 75 per AC	Counting of votes and related aspects of EVMs, tabulation, IT etc.
9.	EVM ground staff	as required	Matters relating to handling, preparation, administrative logistics etc. of EVMs

SLMTs के रूप में नियुक्त अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली परिसर में स्थित IIIDEM में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 27 मई, 2013 से 31 मई, 2013 तक प्राप्त करेंगे। इसके उपरान्त SLMTs द्वारा राज्य स्तर पर या सम्भाग स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला पुलिस अधीक्षको, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षको, रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, ALMTs आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ALMTs के रूप में नियुक्त अधिकारी उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तर पर या विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, जैसा भी आप द्वारा निर्धारित किया जावे, अन्य संबंधित अधिकारी जो ऊपर तालिका में बताये गये है, को प्रशिक्षित करेंगे।

अतः आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से ALMTs के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के नाम दिनांक 31 मई, 2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें। ALMTs के रूप में कितने अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 3 अधिकारियों का मापदण्ड निर्धारित किया है। अतः प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 3 ALMTs का चयन कर उनके नामों की सूची दिनांक 31.05.2013 तक प्रेषित करें।

यह भी लेख है कि जिले में अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु ALMTs की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जिला पुलिस अधीक्षको से भी चाहे गये है, अतः जिला पुलिस अधीक्षक से भी इस संबंध में सम्पर्क कर प्रस्ताव प्राप्त कर प्रेषित करावें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।